

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) सूरजपुर जिला सूरजपुर(छ.ग.)

रा0प्र0क0 20.2.5.5.200.300023

/अ-62/2024-25

प्रारूप- 'ग'

(नियम 3(2) देखिये)

-: अनुज्ञा:-

प्रति

रविन्द्र कुमार आ0 अनिल चन्द्र

निवासी ग्राम-गणेशपुर प.ह.नं.-21

तहसील लटोरी जिला सूरजपुर छ0ग0

विषय:-

वृक्ष कटाई हेतु अनुज्ञा ।

--0--

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 24.03.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 01.04.2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 28.04.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु युकेलिप्टस प्रजाति के वृक्षों की संख्या 15 है।

संलग्न अभिलेख व स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूं कि ग्राम गणेशपुर प0ह0नं0- 21 रा0नि0मं0- पिलखा तहसील व जिला सूरजपुर छ.ग. स्थित भूमि खसरा नंबर 913/1 रकबा 0.12 हे0 भूमि पर नीलगिरी प्रजाति के कुल 10 नग स्वरोपित वृक्ष को कृषि/व्यवसाय हित में काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई हेतु अनुज्ञा दी जाती है।

छ0ग0 वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1989(क. 9 सन् 1989) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927(1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छ0ग0 परिवहन(वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किये जाने पर यह अनुज्ञा शुन्य होगी।

यह अनुज्ञा आवेदन दिनांक से 07 दिवस तक ही मान्य होगी।



वृक्ष कटानांक 09/अ.वि.अ./प्रवाचक/2025

- प्रतिलिपि :-
- 1- कलेक्टर महोदय सूरजपुर की ओर आव यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ ।
 - 2- वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 - 3- तहसीलदार सूरजपुर को सूचनार्थ ।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर दिनांक 28/04/2025

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)